**संसद सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर मारुति कारें दिया जाना**

669. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) संसद सदस्यों को प्राथमिकता और बिना बारी के आधार पर मारुति 800 कारें कितने-कितने अन्तराल पर बेची जाती हैं;

(ख) इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में कोई परिवर्तन करने का विचार रखती है?

**उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव):** (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय के दिनांक 3 अप्रैल, 1987 के मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार संसद सदस्य विनिर्माता कोटे से मारुति वाहनों के आबंटन के लिए पात्र हैं। विनिर्माता कोटे से उसी व्यक्ति को दूसरा आबंटन पुराने आबंटन की डिलिवरी की तारीख के चार वर्षों की समाप्ति के पश्चात ही किया जा सकता है।

(ग) जी, नहीं।

**Take over of M/s. Larsen and Toubro Ltd. by Reliance Industries**

670. SHRI A.G. KULKARNI: DR. BAPU KALDATE: SHRI VISHWASRAO RAM RAO PATIL:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the answer to Unstar-red Question 1213 given in the Rajya Sabha on the 21st November, 1988 and state:

(a) whether any information has been supplied by M/s. Reliance Industries as regards take over of M/s. Larsen and Toubro Limited and if so, what are the names of Directors on behalf of Reliance;

(b) what is the date on which the proposal was referred to the Ministry under Section 23(4) of the MRTP Act, 1%9; and

(c) whether Government have permit ted such take over?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DE VELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) Shri Mukesh D. Ambani, Shri M.L. Bhakta and Shri Anil D. Ambani, who are Directors of M/s. Reliance Industries Ltd., have been appointed as Additional Directors of M/s. Larsen and Toubro Ltd. Government have not received any proposal for takeover of M/s. Larsen and Toubro Ltd. under section 23(4) of the MRTP Act, 1969, from M/s. Reliance Industries Ltd.

(c) Does not arise.

**ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता**

671. **श्री राम जेठमलानी:**
**श्री राम नरेश यादव:**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए सहकारी समितियों, संस्थाओं तथा व्यक्तिगत लोगों को अनुदान या ऋणों के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 में दिसम्बर, 1988 तक तथा चालू वित्तीय वर्ष 1988-89 में राज्य बोर्ड की मार्फत या सीधे कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है कुल कितनी समितियों, संस्थाओं एवं व्यक्तिगत लोगों को यह सहायता दी गयी है;

(ग) इनमें उन संस्थाओं की संख्या कितनी है जिन्होंने ऋण प्राप्त करने के पश्चात अपने-अपने उद्योग चालू कर दिए थे तथा इस अवधि के दौरान वर्ष-वार कुल कितने मूल्य का उत्पादन किया गया; और

(घ) क्या इन में से कुछ संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा ऋणों का वापस भुगतान कर दिया गया है; यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है?

**उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम):** (क) जी, हां।